क्रम संख्या–146 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 09 अक्टूबर, 2019 ई0

आश्विन 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–6

संख्या 100/XXVII(6)–1358–तीन–2019

देहरादून, 09 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0–16

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड संहकारी समितियां, पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों के एकीकरण नियमावली, 2019 के प्राविधानों के क्रम में गठित लेखा परीक्षा विभाग के 'उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा संवर्ग' में नियुक्त कार्मिकों की सेवा–शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति: 2. उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें: 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** से निदेशक, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत हैं

(ख) **'भारत का नागरिक'** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो "भारत का संविधान" के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हों या भारत का नागरिक समझा जाय,

(ग) **'आयोग'** से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है,

(घ) **'संविधान'** से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(ङ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(च) **'राज्यपाल'** से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत है,

(छ) **'सेवा'** से उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है,

(ज) **'सेवा का सदस्य'** से इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली के आदेशों के अधीन मौलिक रूप से मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ट) **"सेवा संवर्ग"** से "उत्तराखण्ड सहकारिता समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों के एकीकरण नियमावली 2019" के प्राविधानों के क्रम में समूह 'ग' के कार्मिकों के एकीकरण के फलस्वरूप गठित उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा संवर्ग अभिप्रेत है।

(ठ) **"सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संवर्ग"** से समूह 'ग' के ऐसे कार्मिक अभिप्रेत हैं, जो उ0प्र0 अधीनस्थ (सहकारी एवं पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 1980 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ (सहकारी एवं पंचायत) लेखा परीक्षा (प्रथम संशोधन), 1993 सेवा नियमावली के अंतर्गत नियुक्त किये गये हों,

(ड) **"स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संवर्ग"** से समूह 'ग' के ऐसे कार्मिक अभिप्रेत है, जो उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1985 के अंतर्गत नियुक्त किये गये हों,

(ढ) **'विभाग'** का तात्पर्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है।

परन्तु;

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रस्थगित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई या अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(1) लेखा परीक्षक:–

लेखा परीक्षकों के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।

(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक:–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने उस भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को लेखा परीक्षक के पद पर कुल 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा समय–समय पर सरकार द्वारा विहित पाठ्य विवरण के अनुसार अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा (SAS) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी:–

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने उस भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कुल 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01.01.1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिये भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

परन्तु यह और भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी:– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसके अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में लेखा परीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि एवं कम्प्यूटर का CCC प्रमाण–पत्र अथवा ओ–लेवल प्रमाण–पत्र होना चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसनें–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

10. इस नियामावली के परिशिष्ट में अंकित समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को "उत्तराखण्ड लोक सेवा अयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 व 5 एवं समय–समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य/वांछनीय अर्हता धारित किया जाना होगा।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु की गणना जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु यह और कि आयु के संबंध में व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों के अनुसार तद्नुसार स्वतः परिवर्तित मानी जाएगी।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नौकरी के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से संबद्ध दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति :

13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वास्थ्यः–

14. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–II, भाग III के अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है.

परन्तु; The Right of Persons With Disabilities Act-2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस नियमावली के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के किये रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रकिया

16. (1) लेखा परीक्षक के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेगे जो भुगतान किये जाने पर, (यदि कोई हो), आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों से प्रकट हो, संस्तुति करेगा जितनें वे नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:– प्रतियोगिता परीक्षा एवं विभागीय परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से विहित किये जाय।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

17. (1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–संमय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रकिया नियमावली, 2013 एवं उत्तराखण्ड विभागीय चयन समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 तथा समय–समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अनुसार निम्नवत् गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

(क) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी	–	अध्यक्ष
(ख) अपर विभागाध्यक्ष/समकक्ष अधिकारी	–	सदस्य
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी, जो संबंधित पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों।	–	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका और उनसे संबंधित ऐसे अन्य सेवा अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट सेवा अभिलेखों के आधार अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग छ– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम यथा स्थिति, नियम 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा–अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ाई जाय,

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा–अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने को अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां इस नियमावली के अधीन की गयी घोषणा कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, को स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी कार्मिक की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये गये हैं।

परन्तु; यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी मामले में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता उसके अनुसार निर्धारित होगी जो नियम 18 के अधीन जारी किये गये सूची में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथा स्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा चयन सूची में अवधारित की जाय।

परन्तु सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो व अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके पोषक संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया गया है।

भाग सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान "**परिशिष्ट 'ख'** में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, द्वितीय वेतनवृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कार्मिक की वेतनवृद्धि केवल विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोक दी जाये तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वेतनवृद्धि की अनुमति जिस मास में परीक्षा आयोजित की जायें उसके आगामी मास के प्रथम दिनांक से प्रदान की जायेगी और ऐसी अवधि की, जिसके दौरान वेतनवृद्धि रोकी जाय, समयमान में वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।

भाग आठ –अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किन्ही अन्य साधनों से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप में इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमो, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

26. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आयोग के परामर्श से उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्युक्त रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिलुप्त या शिथिल कर सकते हैं।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका सरकार से इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

"परिशिष्ट क"

(नियम 4(2) के अनुसार)

क्र.स.	पद का नाम	कुल पद संख्या
1.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	33
2.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	40
3.	लेखा परीक्षक	60
	योग	133

"परिशिष्ट 'ख'

(नियम 22(2) के अनुसार)

क्र.स.	पद का नाम	वेतनमान (रू0 में)
1.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	47600–151100 (लेवल–08)
2.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	35400–112400 (लेवल–06)
3.	लेखा परीक्षक	29200–92300 (लेवल–05)

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **100/XXVII(6)/1358/Three/2019,** Dehradun dated October 09, 2019 for general information:

No. 100/XXVII(6)/1358/Three/2019
Dated Dehradun, October 09, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, The Governor is pleased to make the following rules to regulate the service conditions of the personnel appointed in the Uttarakhand Audit Subordinate Service Cadre of the Audit Department formed in accordance with the provisions of unification of personnel of Co-operative Societies, Panchayat Audit Department and Local Fund Audit Department Rules, 2019.

Uttarakhand Audit Subordinate Service Rules, 2019

Part I- GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called "Uttarakhand Audit Subordinate Service Rules,2019."
   (2) It Shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttarakhand Audit Subordinate Service is a service comprising group 'C' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything adverse in the subject or Context:-
   (a) **'Appointing Authority'** means the Director Audit Department Of Uttarakhand.
   (b) **'Citizen of India'** means a person; who is or is deemed to be a Citizen of India under part-II of the constitution;
   (c) **'Commission'** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;
   (d) **'Constitution'** means the Constitution of India;
   (e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;
   (f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;
   (g) **'Service'** means the Uttarakhand Audit Subordinate Service Selection Rules , 2019;

(h) **'Member of The Service'** means a Person appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules or of rules or order in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service.

(i) **'Substantive Appointment'** means an appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by exeutive instructions issued by the Government;

(j) **'Recruitment Year'** means the period of 12 months commencing from the first day of july of a calender year;

(k) **'Service Cadre'** means Uttarakhand Audit Subordinate Service Cadre which is created by unification the personnel of group 'C' of Co-operative Societies and Panchayat Audit Department and Local Fund Audit Department under unification rules, 2019.

(l) **'Cooperative Societies & Panchayats Audit Cadre'** means personnels of group 'C' who are appointed according to the provisions of UP Subordinate (Cooperative & Panchayat) Audit Service Rule, 1980 and UP Subordinate (Coperative & Panchayat) Audit (first amendment) Service Rule, 1993.

(m) **'Local Fund Audit Cadre'** means personnel of group 'C' who are appointed according to the provisions of UP Local Fund Auditor Subordinate Service Rule, 1985.

(n) **'Department'** means the "Uttarakhand Audit Department."

Part II- CADRE

Cadre of Service

4. (1) The employees/officers in the service and the number of posts in each category therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The employees/officers in the service and the number of posts in each category therein shall, until orders varying the same are not issued under sub rule(1), be such as is given in the Appendix 'A' to these rules,

Provided that

(One) The appointing authority may leave any vacant posts unfilled or the Governor may hold the same in abeyance, without entitling any person to claim compensation,

(Two) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider necessary.

Part III – RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment on the various categories of post in the service shall be done from the following sources-

(1) Auditor-

100 percent posts of the Auditors shall be filled by direct recruitment through the Commission.

(2) **Senior Auditor** -

By promotion from such substantively appointed confirmed auditors, who have, completed 07 years of service as auditor on the first day of recruitment year and has passed subordinate Audit Service (SAS) departmental exam as per syllabus prescribed by the government from time to time, on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the departmental promotion committee,

(3) Assistant Audit officer-

By promotion from such substantively appointed senior auditors, who have completed 05 years of service as senior auditors on the first day of recruitment year, on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the departmental promotion committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economicaly Weaker Classes and Other Catagories of Uttarakhand shall be in accordance with the order of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV- QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-

(a) A citizen of India or

(b) A Tibetan refugee who came to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Shri Lanka or any of the east

African countries of Kenya, Uganda and The United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Janjibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour in a certificate of eligiblity has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belongs to category (b) Shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence branch, Uttarakhand,

Provided further also that if a candidate belongs to category (c) which mentioned above, no certificate of eligiblity shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship,

Note: A candidate in whose case a certificate of eligiblity is necessery but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of auditor in the service must hold a degree in commerce (B.Com) from a recognized university or institute of India established by law, CCC certificate or 'O' level certificate of computer and have practical knowledge of hindi writing in devnagri script.

Preferential Qualification

9. Such candidate who has

(1) served in the territorial army for a minimum period of two year, or

(2) obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadets corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Essential/Desirable Qualification

10. A candidate for direct recruitment the group 'C' posts mentioned in the appendix of this rules shall have the essential/desirable qualification as per rule 4 & 5 of "The Essential/Desirable Qualification for Recruitment of Group 'C' post within the purview and out side the purview of Public Srevice Commission Rules, 2010" as amended from time to time.

Age

11. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on July 1st of the calender year in which recruitment is to be made,

Provided that, the upper age limit, in case of candidates belonging to Schedule Caste and Schedule Tribe, Other Backward Classes and such other catogory of the state of Uttarakhand as may be notified by government from time to time, shall be greater by such number of year as may be specified.

provided also that inrelation to the rules promulgated for provision of age by State Government from time to time shall deemed to be modified .

Character

12. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all aspects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself in this regard.

Note: Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by Local Authority or any corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Any person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

13. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living, shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

14. (1) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and physical health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties efficiently. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a medical board.

(2) In Case of other post in service, a medical certificate is required to be presented in accordance with the rules framed under fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II, Part III.

Provided that subbasement to section 33 of 'The Right of persons with Disabilities Act, 2016' (Act, 49 year

2016 GOI) the post identified for this and the categories identified under section-34 the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

Provided further that the examination by medical board shall not be necessary in case of a candidate recruited by promotion.

Part V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

15. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the recruitment year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Schedule Caste, Schedule Tribes, Other Backward Classes Economically Weaker Classes and Other Categories under rule 6 of these rules. The vacancies for direct recruitment shall be intimated to the Commission.

Procedure for direct Recuritment

16. (1) The Commission shall invite applications for permission to appear in the competitive examination for Auditor in the prescribed application forms, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment (If any).

(2) No candidate shall be admitted to the examination without admit card issued by the commission.

(3) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribes Other Backward Classes, Economicaly Weaker Classes and Other Categories under rule 6, shall recommend such number of candidates as per the merit list on the basis of the marks obtained by each candidate in written examination, as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate senior in age, shall be placed higher in the list. Commission shall forward this list to the appointing athority.

Note : Syllabus and rules for the competitive and departmental examination shall be prescribed by the Government with consultation of commission.

Procedure of Recuritment by Promotion

17. (1) Recruitment to the post of Assistant Audit officer/Senior Auditor shall be done by promotion from time to time through following departmental selection committee constituted as per provisions of Uttarakhand Departmental Promotion Committee (for the post

outside the preview of Public Service Commission) rules, 2002 and the Uttarakhand procedure of selection for promotion in the state services (outside the preview of the Public Service Commission) rules, 2013 and as amended from time to time-

(a) Head of Department/ Appointing Authority - Chairman

(b) Additional Head of Department/ Equivalent Officer - Member

(c) Two Gazetted Officers,who have supervisory power over such post, nominated by Appointing Authortiy - Member

(2) Appointing authority shall prepare a list of eligible candidates and put up the same to the selection committee alongwith their character role and such other documents consider appropriate.

(3) The selection committee shall consider the matters of the candidates based on records as prescribed in sub rule (2) and if considered necessary may also conduct interview of the candidates.

(4) The selection committee shall prepare a list of selected candidates in order of there seniority in the cadre and shall forward it to the appointing authority.

Part VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. The Appointing Authority shall make appointment of the persons recommended in the order in which they stand in the list prepared under rule 16 & 17 as the case may be.

Probation

19. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may on reason to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted.

Provided that the probation period shall not be extended for more than one year and in any condition, for two years, except in exceptional circumstances.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or the end of the period of probation or extended period of probation that probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed

to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20 (1) Subject to provision of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if

(a) He/She has passed the prescribed departmental examination ,

(b) He/She has successfully undergone the prescribed training,

(c) His/Her work and conduct are reported to be satisfactory,

(d) His /Her integrity is certified and,

(e) The appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation,

(2) Where confirmation is not necessary under the provision of the Government Servant Confirmation Rules, 2002 of the State, in that case a declaration made under these rules that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

21 (1) Except as provided in these rules, the seniority of a person substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servant (determination of Seniority) Rules, 2002 as amended from time of time. If two or more persons are appointed together then their seniority shall be determinded in the order of their names as serialized in the appoinment order.

Provided that if an earlier date, from which a person in appointed substantively, is mentioned in the appointment order, then date shall be deemed as date of his substantive appointment and in other cases this be treated as the date of issuance of the order.

Provided also that if after the selection more than one appointment orders are issued in any case then the

seniority shall be determined as per the order appearing in the combined selection list issued under rule 18.

(2) Inter se seniority of appointments as a result of any selection shall be such is determined in the selection list by the commission or the Selection Committee as the case may be.

Provided that any candidate of direct recruitment fails to take the charge on getting proposal of post without any valid reason than he shall lose his seniority.

(3) Seniority of person appointed by promotion shall be such as was there in the cadre from which they are promoted.

Part VII- PAY etc.

Pay scales

22 (1)The scales of pay addmissible to persons appointed to a post in service shall be such as may be determind by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in appendix-'B'.

Pay during probation

23 (1) Not withstanding any contrary provisions in the fundamental rules a persons on probation, if he is not already in permanent Government service shall be given his first increment when he has completed one year of satisfactory service, and where prescribed has passed departmental examination and undergone training. Second increment after two year of service shall be given only when he has completed the probationary period.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfactory performance, such period of extention shall not be counted for increment unless the appointing authorty directs otherwise,

(2) The pay during probation of a persons, who was already holding a post under the Government, shall be regulated as per the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government services shall be regulated by the relevant rules generally applicable to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

(4) If the increment of the personnel is withheld during the probationary period only on account failure to pass the departmental examination, it shall be allowed to him

from the first day of the month following the month in which the examination is held and the period during which the increment is withheld, shall be counted for increment in the time scale.

Part VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing

24 No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to inlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for a appointment.

Regulation of other matters

25 In regard to the matters which are not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the service shall be Government by the rule, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation of the conditions of service

26 Where the state Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service, cause undue hardship in particular case not withstanding anything contained in the rules applicable to the case, it may by order with consultation of the Commission, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving

27 Nothing in these rules shall effect reservations and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Other Special Categories persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Appendix 'A'
(According to rule 4(2))

Sr.No	Name of The Post	Number of Posts
1-	Assistant audit officer	33
2-	Senior Auditor	40
3-	Auditor	60
Total		**133**

Appendix 'B'
(According to rule 22(2))

Sr.no	Name of The Post	Pay Scale
1-	Assistant audit officer	47600-151100 (level-08)
2-	Senior Auditor	35400-112400 (level-06)
3-	Auditor	29200-92300 (level-05)

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 81 वित्त/516–2019–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो) I